म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक /8695**/MGNREGS-MP/NR-3/2020** **भोपाल दिनांक** 06/03/**2020**

प्रति,

- **कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक**
- **मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक**
  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम - म.प्र.
  जिला समस्त (म.प्र)

विषय: महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत तालाब मरम्मत / जीर्णोद्धार के कार्य बाबत्।

संदर्भ: 1.विकास आयुक्त का पत्र क्र. 1833/म.गा.नरेगा/2017 दिनांक 28.04.2017.
2.विभाग का **पत्र क्र. 2137/22/टी.आर. भोपाल दिनांक 26.02.2019.**

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी मास्टर परिपत्र 2019-20 की अनुसूची -1 में अनुमत कार्य श्रेणी के पैरा 7.3 अनुसार **Category A में Renovation of traditional water bodies including desilting of irrigation tanks and other water bodies ; and conservation of old step wells/baolis;** शामिल है तथा कंडिका 7.12.2 में **Renovation of traditional water bodies including desilting of tanks** का कार्य 10-15 वर्ष पूर्व निर्मित जल संरचनाओं में जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि एवं भू-जल रिचार्ज के उद्देश्य से किये जाने का उल्लेख है।

विकास आयुक्त कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 28.04.2017 के अनुसार प्रत्येक ग्राम में एक तालाब का जीर्णोद्धार अथवा नवीन तालाब का निर्माण अनिवार्यत: लिये जाने के निर्देश दिये गये है। पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट क्र. 1 में तालाब जीर्णोद्धार / मरम्मत की डीपीआर तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति का प्रपत्र संलग्न किया गया है। तालाब मरम्मत / जीर्णोद्धार पुनरूद्धार का कार्य चंदेला - बुंदेला अन्य प्राचीन एवं नरेगा अंतर्गत न्यूनतम 10 से 15 वर्ष पूर्व निर्मित तालाबों जिनकी जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि एवं भू-जल रिचार्ज के उद्देश्य हेतु की जाना आवश्यक है ऐसे 20 एकड़ तक जल संग्रहण क्षमता वाले तालाब **secure.nic.in** पर उपलब्ध **SoR** की दरों पर स्वीकृत किये जा सकेंगे। जीर्णोद्धार / मरम्मत पुनरूद्धार कार्य हेतु आवश्यक मिट्टी की मात्रा के लिये तालाब गहरीकरण का कार्य सहायक यंत्री की निगरानी में विधिवत लेआउट देकर कराया जा

सकेगा। तालाब पुनरूद्धार के संबंध में विभाग का पत्र क्र. 2137/22/टी.आर. भोपाल दिनांक 26.02.2019 जो टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, दतिया एवं दमोह हेतु जारी किया गया था जो अब सभी जिलों में लागू होगा। पत्र के बिन्दु क्र. 3.3.3 के पालन न होने की स्थिति में संबंधित जिला यथोचित कार्यवाही का निर्णय लिये जाने हेतु कलेक्टर अधिकृत होंगे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(मनोज श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र./8696/MGNREGS-MP/NR-3/2020 भोपाल दिनांक 06/03/2020

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. संभागायुक्त समस्त मध्यप्रदेश।
4. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मंडल मध्यप्रदेश।
5. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग समस्त मध्यप्रदेश।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, जनपद पंचायत, सहायक यंत्री / उपयंत्री (आरईएस/मनरेगा) समस्त मध्यप्रदेश।

आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(5)

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 2137 /22/टी.आर. भोपाल, दिनांक 26/02/2019

प्रति,

1. **कलेक्टर**
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत**

जिला –टीकमगढ, निवाडी, छतरपुर, पन्ना, दतिया एवं दमोह

विषयः चंदेला – बुंदेला तालाबों के पुनरूद्धार कार्यक्रम के संबंध में।

प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के टीकमगढ़, निवाडी, छतरपुर, दतिया, पन्ना एवं दमोह जिलों में चंदेला एवं बुंदेला शासकों द्वारा निर्मित तालाबों का लम्बे समय तक पेयजल, निस्तार एवं सिंचाई के लिए उपयोग होता रहा है। कालांतर में कुप्रबंधन के कारण गाद जमने, कैचमेंट में अतिक्रमण, बण्ड/वेस्टवियर में टूटफूट तथा अन्य कारणों के फलस्वरूप वर्तमान में ये तालाब क्षमता के अनुरूप उपयोग नहीं हो पा रहे हैं। यदि चंदेला – बुंदेला तालाबों का पुनरूद्धार किया जाये तो इन तालाबों पर आधारित ग्रामों में जल की उपलब्धता में सुधार होगा और सूखे की परिस्थितियों से निपटने की क्षमता में विकास होगा। इस परिप्रेक्ष्य में बुंदेलखण्ड क्षेत्र के चंदेला – बुंदेला तालाबों के पुनरूद्धार का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। तत्संबंध में यह दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं:-

1. कार्यक्रम के अव्यव -

1.1 चंदेला – बुंदेला तालाबों के पुनरूद्धार कार्यक्रम के प्रमुख अव्यव निम्नानुसार होंगे :-

1. कैचमेंट में मिट्टी के कटाव रोकने के कार्य करना
2. कैचमेंट के अतिक्रमण को हटाना
3. फीडर चैनल के अवरोधों को पृथक करना तथा अवरोधों के प्रभावों को कम करने के लिए यथोचित विकल्प अपनाना
4. जल भराव क्षेत्र की गाद निकालना
5. मिट्टी की उर्वकता में गुणात्मक सुधार हेतु निकाली गयी गाद का खेतों में उपयोग
6. बंड और वेस्टवियर का सुधार करना
7. डाउनस्ट्रीम में पानी की वितरण प्रणाली/चैनल में सुधार करना

2. कार्यक्रम की रणनीति -

2.1 चंदेला – बुंदेला तालाबों के पुनरूद्धार का प्रस्तावित कार्यक्रम Community Led Initative है जिसे शासन, ग्रामीण समाज और स्वयं सेवी संगठनों की साझेदारी से किया जायेगा। शासन द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के वित्तीय स्त्रोतों और स्वयं की संस्थागत व्यवस्था से

चयनित तालाबों के कैचमेंट ट्रीटमेंट तथा बंड, वेस्टवियर सुधार और डाउनस्ट्रीम में पानी की वितरण प्रणाली/चैनल के सुधार के कार्य की आयोजना तैयार कर क्रियान्वयन किया जायेगा। तालाबों की गाद मशीन से निकालने का कार्य स्वयं सेवी संगठनों के consortium द्वारा किया जायेगा, जो इसके लिए स्वयं के स्त्रोतों से जुटाये गये वित्तीय संसाधनों (जैसे – सी.एस.आर. इत्यादि) का उपयोग करेंगे। ग्रामीण समुदाय का यह दायित्व होगा कि वे तालाबों से निकली हुई गाद को परिवहन कर ले जायें और अपने खेतों में उपयोग करेंगे।

3. आयोजना एवं क्रियान्वयन -

चंदेला – बुंदेला तालाबों के पुनरूद्धार कार्यक्रम की आयोजना एवं क्रियान्वयन निम्नानुसार किया जायेगा :-

3.1 तालाबों का चिन्हांकन -

कार्यक्रम में शामिल जिलों में विकासखण्ड स्तर पर सहायक यंत्री और उपयंत्रियों का दल गठित कर चंदेल एवं बुंदेल कालीन ऐसे तलैया एवं तालाबो को चिन्हांकित किया जायेगा जिनकी जल भराव क्षमता 20 एकड़ से कम है। चयनित तालाबों की जानकारी संलग्न **प्रपत्र – 1** में संकलित की जायेगी।

3.2 कैचमेंट में मिट्टी के कटाव रोकने के कार्य-

3.2.1 इस कार्य हेतु महात्मा गांधी नरेगा के उपयंत्री तथा वाटरशेड परियोजनाओं के विकासखण्ड समन्वयक/ विकासखण्ड अभियंता के तकनीकी दलों का गठन विकासखण्ड स्तर पर किया जायेगा। यह दल कैचमेंट में मिट्टी के कटाव को रोकने के कार्यों की आयोजना तैयार करेंगे, क्रियान्वयन एजेंसी को तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे और कार्यों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण करेंगे।

3.2.2 तकनीकी दलों द्वारा सर्वप्रथम प्रत्येक तालाब के कैचमेंट का निर्धारण कर टोपोशीट पर अंकित किया जायेगा। तत्पश्चात इस दल द्वारा तालाब के संपूर्ण कैचमेंट में भ्रमण कर सर्वेक्षण किया जायेगा। इस भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव तथा जी.आर.एस. भी साथ में रहेंगे। इस सर्वेक्षण के दौरान स्थानीय विशिष्टताओं व तकनीकी पैरामीटर (स्लोप, टोपो ग्राफी, रन-ऑफ इत्यादि) को ध्यान में रखकर तथा वाटरशेड के रिज-टू-वेली के सिद्धांत के आधार पर तालाब के संपूर्ण कैचमेंट हेतु निम्न में से आवश्यक और

4. गैबियन संरचना

5. उपयुक्त भूमि पर वृक्षारोपण

6. मेढ़ बंधान

3.2.3 उक्त चयनित कार्यों के तय किये गये निर्माण स्थल के Dimension (परिमाप) को ध्यान में रखकर तकनीकी दल द्वारा प्रत्येक तालाब के कैचमेंट में चयनित किये गये कार्यों हेतु लोकेशन स्पेसिफिक ड्राइंग व डिजाईन और प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे ताकि निर्मित संरचना परिणाम मूलक हो।

3.2.4 प्राक्कलन बनने के पश्चात् मनरेगा के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्तानुसार कार्यों की तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासकीय स्वीकृति, वर्ककोड जनरेशन, डी.पी.आर. फ्रीजिंग, जीओ टेगिंग आदि कार्यवाही कराकर कार्यान्वयन महात्मा गांधी नरेगा के वित्तीय स्त्रोतों से ग्राम पंचायत अथवा स्व सहायता समूहों द्वारा किया जायेगा।

3.3 जल भराव क्षेत्र की गाद निकालने का कार्य -

3.3.1 यह कार्य स्वयं सेवी संगठनों के consortium द्वारा किया जायेगा। इस कार्य के संपूर्ण नियोजन हेतु प्रत्येक तालाब हेतु पुनरूद्धार समिति का गठन भी किया जायेगा, जिसमें उपयंत्री ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, जी.आर.एस. कृषि विभाग के कृषि विस्तार अधिकारी तथा स्वयं सेवी संगठन के प्रतिनिधि और ग्राम के 2 वरिष्ठतम् सदस्य शामिल रहेंगे।

3.3.2 स्वयं सेवी संगठनों के consortium द्वारा नियुक्त स्वयं सेवी संगठन संबंधित विकासखण्ड के सहायक यंत्री के सहयोग व समन्वय से तालाब के जल भराव क्षेत्र का अवलोकन/सर्वेक्षण कर उन स्थलों का निर्धारण करेंगे, जहां पर गाद निकाली जानी है। सर्वेक्षण के आधार पर गाद निकालने के कार्य के प्राक्कलन सहायक यंत्री द्वारा तैयार किये जायेंगे और इस कार्य को अभिसरण मद में दर्शाते हुए स्वीकृतियां जारी की जायेंगी। गाद निकालने का कार्य स्वयं सेवी संगठन द्वारा किया जायेगा। स्वयं सेवी संगठन स्वयं के स्त्रोतों से जुटाये गये

सर्वाधिक उपयुक्त कार्यों का चयन व निर्माण स्थल का निर्धारण किया जायेगा:-

1. कंटूर ट्रेंच (एकल कार्य अथवा वानस्पतिक बंधान के साथ)
2. गली प्लग/लूज बोल्डर चेक
3. कंटूर बोल्डर वॉल

वित्तीय संसाधनों (जैसे – सी.एस.आर. इत्यादि) का उपयोग कर मशीनों से तालाब की गाद निकालेंगे।

3.3.3 जिला /जनपद प्रशासन, स्वयं सेवी संगठनों और पुनरूद्धार समिति द्वारा ग्रामीण समुदाय को मोबेलाईज किया जायेगा कि वे तालाबों से निकली हुई गाद को परिवहन कर ले जायें और अपने खेतों में उपयोग करें। गाद के परिवहन का व्यय ग्रामीणों द्वारा वहन किया जायेगा। ग्राम पंचायत चाहे तो किसान की सहमति से प्रति ट्राली गाद ले जाने के एवज में निर्धारित राशि एकत्र कर सकती है। इस प्रकार एकत्र की गई राशि का उपयोग तालाब पुनरूद्धार के काम में ही किया जायेगा।

3.4 बंड और वेस्टवियर के सुधार कार्य -

3.4.1 इस कार्य हेतु जल संसाधन विभाग तथा आर.ई.एस. के इंजीनियरों का दल गठित कर तालाब के बंड और बेस्टवियर का सर्वेक्षण कराया जायेगा। वे इस सर्वेक्षण के आधार पर बंड तथा बेस्टवियर के सुधार हेतु आवश्यक मरम्मत कार्य का निर्धारण कर प्राक्कलन तैयार करेंगे।

3.4.2 मनरेगा के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्तानुसार कार्यों की तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासकीय स्वीकृति, वर्ककोड जनरेशन, डी.पी.आर. फ्रीजिंग, जीओ टेगिंग आदि कार्यवाही कराकर कार्यान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

4 वित्तीय नियोजन -

4.1 चयनित तालाबों के कैचमेंट के कार्य तथा बंड व बेस्टवियर मरम्मत के कार्य महात्मा गांधी नरेगा के वित्तीय स्त्रोतों से किये जायेंगे। गाद निकालने के कार्य के लिए स्वयं सेवी संगठनों के consortium द्वारा जुटाये गये वित्तीय संसाधन का उपयोग किया जायेगा। अन्य स्त्रोतों से जैसे समाज की सहभागिता से भी वित्तीय संसाधन जुटाये जा सकते हैं।

5 टाईम लाईन -

5.1 तालाबों का चिन्हांकन – 28 फरवरी 2019

5.2 उपयंत्री तथा वाटरशेड परियोजनाओं के विकासखण्ड समन्वयक/विकासखण्ड अभियंता के गठित तकनीकी दलों का गठन व प्रशिक्षण – 01 मार्च 2019

5.3 कैचमेंट में मिट्टी के कटाव रोकने के कार्यों का निर्धारण, प्राक्कलन व स्वीकृतियां – 05 मार्च 2019

5.4 तालाबों की गाद निकालने के कार्य का निर्धारण, प्राक्कलन व स्वीकृतियां – 03 मार्च 2019

5.5 पुनरूद्धार समिति का गठन – 01 मार्च 2019

5.6 जल संसाधन विभाग तथा आर.ई.एस. के इंजीनियरों के दल का गठन – 28 फरवरी 2019

5.7 तालाब के बंड और बेस्टवियर का सर्वेक्षण तथा सुधार हेतु आवश्यक मरम्मत कार्य का निर्धारण – 05 मार्च 2019

5.8 तालाब के बंड और बेस्टवियर के मरम्मत कार्य का प्राक्कलन व स्वीकृतियां – 07 मार्च 2019

6 अनुश्रवण :-

6.1 उपरोक्त अनुसार चंदेला – बुंदेला तालाबों के पुनरूद्धार कार्यक्रम का अनुश्रवण महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधानों तथा निर्धारित प्रक्रिया/प्रणाली के अनुसार किया जायेगा।

(उमाकांत उमराव)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल, दिनांक 26/02/2019

पृ.क्र. 2138 /22/2019

प्रतिलिपि:

1. संभाग आयुक्त, संभाग – सागर एवं ग्वालियर की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग